



2026:AHC:172771

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6369 वर्ष 2026

संतोष कुमार केशरवानी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रणेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. इस न्यायालय ने दिनांक 03.07.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 483 वर्ष 2025, धारा 351(3), 352, 340(2), 336(3) एवं 338, भारतीय न्याय संहिता, थाना-झूँसी, जनपद-प्रयागराज/नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक लगभग 72 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक की पत्नी की मृत्यु जून, 2026 के माह में हो गई है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और पुलिस के अत्यधिक दबाव के कारण आवेदक अपनी पत्नी के लिए शोक भी नहीं मना पा रहा है। आवेदक का आपराधिक इतिहास वर्ष 1987 के एक पुराने मामले का है, जिसमें आवेदक को अभी तक दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्तों में से एक है। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन करने में असमर्थ रहे हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. सह-अभियुक्त अर्थात् सौरभ सिंह, शुभम सिंह एवं कामता प्रसाद गुप्ता को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2366 वर्ष 2026 (सौरभ सिंह एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य) में पारित दिनांक 11.02.2026 के आदेश के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। सूचनाकर्ता का दावा है कि आवेदक ने उस संपत्ति को बेच दिया था, जो सूचनाकर्ता की थी। आवेदक लगभग 72 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम राहत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

8. दिनांक 22.07.2026 को सूचीबद्ध करें।

9. अगली सूचीबद्धता की तिथि तक, उपर्युक्त उल्लिखित मामले में सम्मिलित आवेदक- संतोष कुमार केशरवानी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे उपस्थिति से छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(v) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा;

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त करने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के विरुद्ध विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के संबंध में पूर्ण निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।"

2. आज जब वाद पुकारा गया, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं और उन्हें प्राप्त निर्देशों में आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व आदेश में अंकित तर्कों को दोहराया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक को प्राथमिकी में इस आरोप के साथ नामित किया गया है कि आवेदक ने सूचनाकर्ता की संपत्ति की अपने पक्ष में एक कूटरचित विक्रय विलेख निष्पादित कराया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यों के कथनों का खंडन नहीं कर सके।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक लगभग 72 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है। वर्ष 1987 के एक मामले को छोड़कर उसके विरुद्ध कोई अभिलिखित आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, जो यद्यपि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के निर्देशों में दर्शाया नहीं गया है, तथापि आवेदक ने अग्रिम जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 34 में उसका खुलासा किया है। आवेदक इस न्यायालय के आदेश के अधीन अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और यह नहीं कहा गया है कि उसने उसका दुरुपयोग किया है। अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, मैं इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 03.07.2026 द्वारा आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
9. आवेदक संतोष कुमार केशरवानी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे मुकदमा अपराध संख्या 483 वर्ष 2025, धारा 351(3), 352, 340(2), 336(3) एवं 338, भारतीय न्याय संहिता, थाना-झूँसी, जनपद-प्रयागराज/नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) में दिनांक 03.07.2026 के आदेश में उल्लिखित समान नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।